204

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/1318

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–छतरपुर

इस्माइल पिता इद्दू सौदागर, निवासी–चंदला, तहसील चंदला, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1– मुमताज बेगम बेवा बसीर खॉ
2– हसीर खॉ पुत्र स्व. बसीर खॉ
3– रहीस खॉ पुत्र स्व. बसीर खॉ
4– शहीद खॉ पुत्र स्व. बसीर खॉ
5– शान खॉ पुत्र स्व. बसीर खॉ

समस्त निवासीगण– वार्ड नं. 2 चंदला, तहसील चंदला, जिला–छतरपुर

...... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 131/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 15.11.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1 यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 मृतक बशीर पुत्र रज्जब खां चंदला द्वारा भूमि खसरा नं. 2206/3 रकबा 2.02 हेक्टेयर स्थित भूमि चंदला की तरमीम विषयक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर राजस्व निरीक्षक चंदला एवं पटवारी द्वारा प्रेषित तरमीम प्रस्ताव दिनांक 21.06.2012 को सहमति व्यक्त कर उक्त तरमीम को स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव किया गया था।

2 यहकि, आवेदित भूमि की तरमीम किये जाने के सम्बन्ध में आवेदक इस्माइल द्वारा विधिवत् रूप से यह आपत्ति ली गई थी कि विवादित भूमि उसके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है जिस पर उसका कब्जा है तथा इस सम्बन्ध में विधिवत् रूप से तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 28ए/93 में पारित आदेश दिनांक 18.09.1993 से भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की डिक्री पारित की गई है। उक्त आदेश की अपील

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

— 2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/1318 इस्माइल विरूद्ध मुमताज

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 131/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 15-11-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 08-03-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 18/1/19
सदस्य